<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक-22.10.2021

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट न0-01 बाराबंकी ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व 40,000 रूपये अर्थदण्ड से किया दण्डित–

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटंरिग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना बदोसराय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 193/17 धारा 376/419/420 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त नसीम पुत्र असमत अली निवासी कस्बा व थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास व 40,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

थाना बदोसराय क्षेत्रान्तर्गत वादिनी की तहरीर पर दिनांक 21.08.2017 को अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 193/17 धारा 376/419/420 भादवि बनाम 1- नसीम पुत्र असमत अली 2- आयसा बानो पत्नी सकील 3- मो0 वसीम पुत्र असमत अली निवासीगण कस्बा व थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुये, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । न्यायालय द्वारा आयसा बानो पत्नी सकील, मो0 वसीम पुत्र असमत अली निवासीगण कस्बा व थाना बदोसराय बाराबंकी को दोषमुक्त किया गया ।

<u>पुलिस टीम-</u>

1- निरीक्षक श्री सुरेश कुमार वर्मा प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
2- उ0नि0 श्री कमलेश कुमार शुक्ला मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
3- हे0का0 अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
4- म0का0 प्रतिमा द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
5- म0का0 पूनम देवी, म0का0 सपना मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
6- का0 शैलेन्द्र कुमार पैरोकार थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी